

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 219/17

धारा 144 द0प्र0सं0

राम विजय वर्मा वगै0 प्रथम पक्ष

बनाम्

नोखी महतो द्वितीय पक्ष

आदेश

अभिलेख दिनांक 14.9.17 को आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद अंचल अधिकारी, बिरनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम पक्ष के राम विजय वर्मा वगै0 बनाम् द्वितीय पक्ष के नोखी महतो को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग किया गया एवं अंचल अधिकारी, बिरनी तथा थाना प्रभारी बिरनी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न इस प्रकार है :-

मौजा- बेडगरो, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह अंतर्गत -

- (1) खाता नं0 16/02, प्लॉट नं0 117, रकवा 194 डी0, चौहद्दी- 30- तालाब व नीज, द0- नीज, पू0- बाबुलाल मोदी, प0- नीरपत वगै0
- (2) खाता नं0 16/02, प्लॉट नं0 119, रकवा 19 डी0, चौहद्दी 30- नीज, द0- लखन महतो व नीज, पू0- राम विजय वर्मा व नीज, प0- नीज।
- (3) खाता नं0 16/02, प्लॉट नं0 240, रकवा 120 डी0, चौहद्दी 30- रज्जाक मियां, द0- सुखदेव महतो व नीज, पू0- आकुफ मियां व मना मियां वगै0, प0- तालाब नीज।
- (4) खाता नं0 16/02, प्लॉट नं0 244, रकवा 40 डी0 चौहद्द 30- उनुस मियां व हबीब मियां वगै0, द0- रोजन मियां व बलदेव दस वगै0, पू0- शिवनारायण महतो व खुभाली महतो वगै0, प0- जगदीश महतो वगै0।
- (5) खाता नं0 16/02, प्लॉट नं0 246, रकवा 32 डी0 चौहद्दी 30- नीज, द0- विश्वनाथ महतो वगै0, पू0- नीज व आकुफ मियां, प0- जगदीश महतो वगै0।

(6) खाता नं० 16/02, प्लॉट नं० 252, रकवा 64 डी०, चौहद्दी 30- लाल मो० मियां व सुखदेव महतो वगै०, द०- सनिचर बढई वगै०, पू०- बदरी बढई, राम विजय वर्मा, सुकदकव महतो वगै०, प०- भीखन महतो, छतर महतो सुकदेव पासवान।

(7) खाता नं० 16/02, प्लॉट नं० 274, रकवा 108 डी०, चौहद्दी 30- राजु लोहानी वगै०, द०- कुनमन महतो वगै०, पू०- रामदेव महतो, भैरव महतो व नीज, प०- गफुर मियां, खुभाली महतो वगै०।

(8) खाता नं० 69, प्लॉट नं० 2336, रकवा 11 डी०, चौहद्दी 30- ननका हजाम, खिरोधर महतो वगै०, द०- नीज, पू०- जगदीश महतो वगै०, प०- भुना महतो वगै०।

(9) खाता नं० 69, प्लॉट नं० 2338, रकवा 24 डी०, चौहद्दी 30- जगदीश महतो वगै०, द०- रास्ता, पू०- जगदीश महतो वगै०, प०- बजरंगी महतो वगै०।

(10) खाता नं० 69, प्लॉट नं० 2367, रकवा 14 डी० चौहद्दी 30- हुलाश महतो वगै०, द०- रास्ता, पू०- नीज, प०- नाला, शनिचर महतो।

(11) खाता नं० 69, प्लॉट नं० 2368, रकवा 14 डी०, चौहद्दी 30- हुलाश महतो, भैरो महतो वगै०, द०- रास्ता, पू०- छतर महतो वगै०, प०- नीज।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व अंचल अधिकारी, बिरनी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक-हकियत से संबंधित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है चूंकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द०प्र०सं० के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है। निर्धारित अवधि के दौरान कोई अप्रिय घटना अथवा शांति भंग नहीं हुई, उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।